

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज(प्राशि) राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा-प्रारं/नियु.प्रको./नियु-2/982/टीजीटी-2016/2017-2018

दिनांक :- 17/06/2019

कार्यालय आदेश

राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विधालय अध्यापक सीधी भर्ती-2016 अनतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र में लेवल प्रथम के 6299 पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापित दिनांक 06.07.2016 के क्रम में निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑन लाईन आवेदन पत्र भरवाये जाकर तथा पंचायती राज नियम 277 (क) में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अभ्यर्थियों का चयन कर दिनांक 27.05.2017 को वर्गवार चयन सूचियां व दिनांक 08.06.2017 को जिला आवंटन की सूचियां जारी की गई। विज्ञापित दिनांक 06.07.2016 के बिन्दु संख्या 6.6 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा सिविल याचिका संख्या 10182/2012 राजरानी बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.10.2012 की पालना में सामान्य वर्ग की विधवा/परित्यक्ता महिला को न्यूनतम शैक्षिक अर्हता अंको में 5 प्रतिशत की छूट दी जाकर चयन किया गया किन्तु डीबी अपील संख्या 1022/2013 सरकार व अन्य बनाम राजरानी में होने वाले अंतिम निर्णय के अधधीन शैक्षिक अंको में 5 प्रतिशत छूट प्राप्त निम्नानुसार चयनित 16 सामान्य वर्ग की विधवा/परित्यक्ता महिलाओं के पद सुरक्षित रखे गये।


माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डीबी स्पेशल अपील संख्या 1022/2013 में दिनांक 07.09.2018 को निर्णय पारित कर राज्य सरकार की अपील को खारिज किया गया तथा पंचायती राज विभाग की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 21.01.2019 में माननीय खण्डपीठ के द्वारा पारित निर्णय 07.09.2018 के विरुद्ध आगे एस एल पी दायर नहीं करने का निर्णय लिया गया। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 26.02.2018 द्वारा शिक्षक भर्ती 2016 तथा शिक्षक भर्ती 2018 में शैक्षिक अंको में छूट प्राप्त सामान्य वर्ग की चयनित विधवा/परित्यक्ता महिला को अन्यथा पात्र होने की स्थिति में नियुक्तियां/पदस्थापन दिये जाने के निर्देश दिये गये।

अतः शिक्षक भर्ती 2016 अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र में लेवल प्रथम के पद पर शैक्षिक अंको में 5 प्रतिशत की छूट प्राप्त कर चयनित सामान्य वर्ग की निम्न अभ्यर्थियों को उनको आवंटित जिले में लेवल प्रथम के पद पर नियुक्ति प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

MERIT NO.	APPL_REF_ID	APPLICANT_NAME	DATE_OF_BIRTH	FATHER_NAME	GEN DE R	SELECTION CATEGORY			CAT EGO RY	Sen.S ec Exam %	Reet L-1 %	Alloted District
5848	710023434	Rashmi Lata Agarwal	25-May-1974	LAXMI NARAYAN	F	GEN	F	WD	GEN	45.69	68.67	BUNDI
5849	710015371	Kamlesh Shekhawat	17-Sep-1979	BHANWAR SINGH	F	GEN	F	WD	GEN	47.69	68.67	NAGAU R
5850	710036197	Reshma Mirza	25-Dec-1981	ZAHIR MIRZA	F	GEN	F	WD (DV)	GEN	49.38	68.67	BIKANER
5937	710029781	Krishna Sharma	14-Jun-1978	GAURI SHANKER SHARMA	F	GEN	F	WD	GEN	47.23	66.67	AJMER
6186	710001089	Kailash Kunwar Shaktawat	05-Apr-1977	RGUNATH SINGH SHAKTAWAT	F	GEN	F	WD	GEN	49.53	62.67	UDAIPUR
6223	710024444	Bhagawati Sharma	15-Dec-1981	OM PRAKASH SHARMA	F	GEN	F	WD	GEN	42.92	62.00	AJMER
6228	710025584	Poonam Kumari	23-Jul-1984	JAIPAL SINGH	F	GEN	F	WD	GEN	47.6	62.00	BIKANER
6255	710062190	Deepshikha	19-Jun-1973	MADAN LAL	F	GEN	F	WD	GEN	42.2	61.33	GANGAN AGAR
6258	710012052	Premalata	06-Mar-1977	MAHENDRA PRASAD	F	GEN	F	WD	GEN	45.07	61.33	PALI
6261	710017247	Samoj Kanwar	25-Mar-1979	UDAI SINGH	F	GEN	F	WD	GEN	47.66	61.33	JODHPUR
6293	710061028	Kamlesh Kumari	14-Jun-1973	OM PRAKASH	F	GEN	F	WD	GEN	43.4	60.67	BHARATP UR
6295	710060346	Bina Chittora	07-Jun-1976	DHULI LAL CHITTORA	F	GEN	F	WD	GEN	40.15	60.67	UDAIPUR

Om

6303	710005 151	Maya Sharma	06-Aug-1982	GOPAL KRISHAN SHARMA	F	GEN	F	WD	GEN	37.4	60.67	BHILWAR A
6308	710008 698	Suman	10-Nov-1983	SURAJ BHAN	F	GEN	F	WD	GEN	43.6	60.67	CHITTORG ARH
6343	710018 187	Uma Devi	15-Mar-1965	SWAROOP SINGH	F	GEN	F	WD	GEN	40.75	60.00	UDAIPUR
6344	710049 488	Promila	25-Sep-1968	SATYANARYAN	F	GEN	F	WD	GEN	43.2	60.00	GANGAN AGAR




निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा व पं.राज(प्राशि)
राजस्थान बीकानेर।

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त को भेजकर लेख है कि उक्त अभ्यर्थियों को अपने स्तर पर दूरभाष/रजिस्टर्ड-डाक के माध्यम से सूचित करवाते हुए नियमानुसार दस्तावेज सत्यापन व नियुक्ति/पदस्थापन संबंधी कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करावे।
6. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा (मुख्यालय) को प्रति प्रेषित कर पाबन्द किया जाता है नियमानुसार आगामी कार्यवाही संपादित करावे।
7. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा (विधि) जयपुर/जोधपुर।
8. संबंधित अभ्यर्थियों को विभागीय वेबसाईट के माध्यम से सूचनार्थ।
9. रक्षित पत्रावली।



निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा व पं.राज(प्राशि)
राजस्थान बीकानेर।